न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।
सीएनआर नं0 – यू.के.सी.एल.020003632022
दाण्डिक वाद संख्या – 257/2022
देवेन्द्र सिंह बनाम खिलाफ सिंह।

दिनांक : 11.07.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया।

2. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री के0एस0 फर्स्वाण उपस्थित हैं। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवादी की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो आज के लिए स्वीकार किया गया। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्रक पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अन्तर्गत अन्य साक्ष्य प्रस्तुत न करने का पृष्ठांकन किया गया। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

3. पत्रावली का परिशीलन किया गया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि परिवादी ने यह परिवाद विपक्षी के विरूद्ध धारा– 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत आहूत किये जाने हेतु संक्षेप में इन अभिकथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त द्वारा अपनी देनदारी की एवज में परिवादी को ₹2,00,000.00 (दो लाख रूपये) की धनराशि का चैक संख्या 026111 को अपने चैक दिनांक 15.04.2022 भारतीय स्टेट बैंक शाखा, घाट का दिया गया। परिवादी द्वारा उक्त चैक संख्या को भारतीय स्टेट बैंक शाखा, नन्दप्रयाग में जमा किया तो उक्त चैक बैक द्वारा इस आशय के मेमो के साथ वापस कर दिया कि खाताधारक द्वारा खाते से निकासी बन्द की गयी है। जिस पर परिवादी ने दिनांक 04.05.2022 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को एक रजिस्टर्ड विधिक नोटिस भेजा जो कि अभियुक्त को दिनांक 24.05.2022 को प्राप्त हो चुका है। अभियुक्त द्वारा नोटिस की जानकारी के बावजूद परिवादी को चैक की धनराशि अदा नहीं की गयी।

4. परिवादी द्वारा परिवाद के साथ धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत उसका शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विपक्षी द्वारा दिया गया मूल प्रश्नगत चैक दिनांकित 15.04.2022 प्रपत्र संख्या 7क, अनाद्रण स्लिप प्रपत्र संख्या 8क, जमा पर्ची प्रपत्र संख्या 9क, विपक्षी को दिया गया नोटिस दिनॉकित 04.05.2022 प्रपत्र संख्या 10क, डाक रसीद प्रपत्र संख्या 11क, भारतीय डाक विभाग की ट्रेकिंग रिपोर्ट की छायाप्रति प्रपत्र संख्या 12क व स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रपत्र संख्या 13क प्रस्तुत किए गए हैं।

5. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. परिवादी के बयान एंव परिवाद के साथ दाखिल प्रपत्रों व अभियुक्त को भेजे गये नोटिस के आधार

पर परिवाद प्रथम दृष्टया सशपथ बयानों एवं परिपत्रों से समर्थित है। अभियुक्त द्वारा पर्याप्त नोटिस तामीली के पश्चात भी परिवादी को दिये गये चैक की धनराशि ₹2,00,000.00 (दो लाख रूपये) का भुगतान नहीं किया है। उपरोक्त आधारों पर न्यायालय के मत में अभियुक्त के विरूद्व धारा– 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत प्रथम द्ष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त खिलाफ सिंह बिष्ट को प्रकरण में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत तलब किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है।

आदेश

अभियुक्त खिलाफ सिंह बिष्ट पुत्र स्व0 बख्तावर सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम उस्तोली (घाट) पुलिस चौकी घाट, तहसील घाट, जिला चमोली को धारा– 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 के अपराध हेतु न्यायालय में तलब किया जाता है। परिवादी सात दिन के भीतर अभियुक्त की तलबी हेतु पुलिस के माध्यम से समन भेजे जाने के साथ–साथ स्पीड पोस्ट से भी समन भेजने हेतु स्पीड–पोस्ट लिफाफा व वांछित डाक हेतु पैरवी करें

पत्रावली दिनांक 26.07.2022 को अभियुक्त की उपस्थिति हेतु प्रस्तुत हो।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।